

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020—श्रावण 23, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार धाबर्डे आत्मज स्व. चोखोबा नामदेव, उम्र 52 वर्ष, निवासी-198/ए, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्व नाम विजय (Vijay) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विजय कुमार धाबर्डे (Vijay Kumar Dhabarde) रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे विजय कुमार धाबर्डे (VIJAY KUMAR DHABARDE) आत्मज स्व. चोखोबा नामदेव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

विजय
(Vijay)
पिता-स्व. चोखोबा नामदेव
निवासी-198/ए, रूआबांधा
सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

विजय कुमार धाबर्डे
(VIJAY KUMAR DHABARDE)
पिता-स्व. चोखोबा नामदेव
निवासी-198/ए, रूआबांधा
सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. नईम गोरी आत्मज अब्दुल जब्बार, उम्र 46 वर्ष, निवासी-शनि मंदिर के पास, हमालपारा, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम नईमुद्दीन था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मो. नईम गोरी आ. अब्दुल जब्बार रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मो. नईम गोरी आत्मज अब्दुल जब्बार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नईमुद्दीन
पिता-अब्दुल जब्बार
निवासी-शनि मंदिर के पास,
हमालपारा, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

मो. नईम गोरी
पिता-अब्दुल जब्बार
निवासी-शनि मंदिर के पास,
हमालपारा, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल अमजद अत्तारी आत्मज स्व. अब्दुल हमीद, उम्र 40 वर्ष, निवासी-मकान नं.-255/1, वार्ड-41, केलाबाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम अमजद खान था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अब्दुल अमजद अत्तारी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अब्दुल अमजद अत्तारी आत्मज स्व. अब्दुल हमीद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अमजद खान
पिता-स्व. अब्दुल हमीद
निवासी-मकान नं.-255/1,
वार्ड-41, केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अब्दुल अमजद अत्तारी
पिता-स्व. अब्दुल हमीद
निवासी-मकान नं.-255/1,
वार्ड-41, केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रोशनी पटेल ध. प. श्री नकुल पटेल, उम्र 33 वर्ष, निवासी-243/4, गांधीनगर रोड, पटेल टेलर्स के पास, डिपरापारा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम रमौतीन आत्मजा श्री कुंवर लाल पटेल था। मेरा विवाह श्री नकुल पटेल के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रोशनी पटेल Smt. Roshni Patel रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती रोशनी पटेल (SMT. ROSHNI PATEL) ध. प. श्री नकुल पटेल (SHRI NAKUL PATEL) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रमौतीन
पिता- श्री कुंवर लाल पटेल
निवासी-243/4, गांधीनगर रोड,
पटेल टेलर्स के पास,
डिपरापारा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रोशनी पटेल
(SMT. ROSHNI PATEL)
पति- श्री नकुल पटेल
(W/o- SHRI NAKUL PATEL)
निवासी-243/4, गांधीनगर रोड,
पटेल टेलर्स के पास,
डिपरापारा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेन्द्र कुमार बन्धोर आत्मज श्री दौलत सिंह बन्धोर, उम्र 54 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-15, खसरा नं.-426/30, आशीष नगर वेस्ट, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार (Yogendra Kumar) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “बन्धोर” जोड़कर पूर्ण, नया नाम योगेन्द्र कुमार बन्धोर (Yogendra Kumar Banchhor) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे योगेन्द्र कुमार बन्धोर (YOGENDRA KUMAR BANCHHOR) आत्मज श्री दौलत सिंह बन्धोर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

योगेन्द्र कुमार
(YOGENDRA KUMAR)
पिता-श्री दौलत सिंह बन्धोर
निवासी-प्लॉट नं.-15,
खसरा नं.-426/30,
आशीष नगर वेस्ट,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

योगेन्द्र कुमार बन्धोर
(YOGENDRA KUMAR BANCHHOR)
पिता-श्री दौलत सिंह बन्धोर
निवासी-प्लॉट नं.-15,
खसरा नं.-426/30,
आशीष नगर वेस्ट,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टी. जयंत रेड्डी आत्मज श्री टी. योगेश रेड्डी, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ब्लाक-6/ए, सड़क-एवेन्यु-सी, सेक्टर-1, वार्ड नं.-38, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम टी. जयंत कुमार था। जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों में दर्ज है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम टी. जयंत रेड्डी रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे टी. जयंत रेड्डी आत्मज श्री टी. योगेश रेड्डी (T. JAYANT REDDY S/o-SHRI T. YOGESH REDDY) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

टी. जयंत कुमार
(T. JAYANT KUMAR)
पिता- श्री टी. योगेश रेड्डी
(S/o-SHRI T. YOGESH REDDY)
निवासी-ब्लाक-6/ए,
सड़क-एवेन्यु-सी, सेक्टर-1,
वार्ड नं.-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

टी. जयंत रेड्डी
(T. JAYANT REDDY)
पिता- श्री टी. योगेश रेड्डी
(S/o-SHRI T. YOGESH REDDY)
निवासी-ब्लाक-6/ए,
सड़क-एवेन्यु-सी, सेक्टर-1,
वार्ड नं.-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कल्याण सिंह मानकर आत्मज स्व. जोहन सिंह ठाकुर, उम्र 53 वर्ष, निवासी- बजरंगपारा, कोहका, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कल्याण सिंह आ. स्व. जोहन, पेनकार्ड, आधार कार्ड में कल्याण सिंह मानकर आ. स्व. जोहन दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम कल्याण सिंह मानकर आत्मज स्व. जोहन सिंह ठाकुर है जो कि मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मैं मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों, अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे कल्याण सिंह मानकर आत्मज स्व. जोहन सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कल्याण सिंह
पिता-स्व. जोहन
निवासी-बजरंगपारा, कोहका,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कल्याण सिंह मानकर
पिता-स्व. जोहन सिंह ठाकुर
निवासी-बजरंगपारा, कोहका,
सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धरम सिंह वैश्य राजपूत आत्मज श्री रामजी राजपूत, निवासी-क्वा. नं.-5/सी, एम. पाकेट मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धरम सिंह वैश्य राजपूत (Dharam Singh Vaishya Rajput) दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम धरम सिंह राजपूत (Dharam Singh Rajput) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे धरम सिंह राजपूत (DHARAM SINGH RAJPUT) आत्मज श्री रामजी राजपूत (SHRI RAMJI RAJPUT) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

धरम सिंह वैश्य राजपूत
(DHARAM SINGH VAISHYA RAJPUT)
पिता-श्री रामजी राजपूत
(S/o-SHRI RAMJI RAJPUT)
निवासी-क्वा. नं.-5/सी, एम.
पाकेट मरौदा सेक्टर,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

धरम सिंह राजपूत
(DHARAM SINGH RAJPUT)
पिता-श्री रामजी राजपूत
(S/o-SHRI RAMJI RAJPUT)
निवासी-क्वा. नं.-5/सी, एम.
पाकेट मरौदा सेक्टर,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिथलेश कुमार पटेल आत्मज श्री रूएल पटेल, उम्र 58 वर्ष, निवासी-मकान नं.-62, कदम्ब केपिटल टाउन, अंजोरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मिथलेश कुमार (Mithilesh Kumar) दर्ज है जो कि अपूर्ण व स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पटेल” (Patel) जोड़कर पूर्ण व सही नाम मिथलेश कुमार पटेल (Mithilesh Kumar Patel) रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे मिथलेश कुमार पटेल (MITHLESH KUMAR PATEL) आत्मज श्री रूएल पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मिथलेश कुमार
(MITHILESH KUMAR)
पिता-श्री रूएल पटेल
निवासी-मकान नं.-62,
कदम्ब केपिटल टाउन, अंजोरा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मिथलेश कुमार पटेल
(MITHLESH KUMAR PATEL)
पिता-श्री रूएल पटेल
निवासी-मकान नं.-62,
कदम्ब केपिटल टाउन, अंजोरा,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

कांकेर, दिनांक 5 अगस्त 2020

प्रारूप क्र. 4

[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) के समक्ष

क्रमांक/1765/अविअ/लो. न्या. पं./रीडर-1/2020.—यतः कि श्री शिशुपाल शोरी पिता स्व. श्री बंशीलाल शोरी एवं अन्य 4 निवासी माहुरबंदपारा कांकेर तहसील कांकेर जिला उ. ब. कांकेर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2020 के जून के 29 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | “श्री राम परमार्थ ट्रस्ट”
पता-राजापारा कांकेर जिला उ. ब. कांकेर (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | अनुमानित आय एक लाख रुपये |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

उमाशंकर बंदे

पंजीयक एवं

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास बागबाहरा, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

बागबाहरा, दिनांक 10 अगस्त 2020

रा. मा. क्र. 01-ब/113 वर्ष 2017-18

ग्राम घुंछापाली, प. ह. नं. 23, रा. नि. मं. तेन्दूकोना

तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द (छ. ग.)

क्रमांक/2256/वाचक-1/अ. वि. अ. (रा.)/2020.—

01. स्वामी श्री अग्निशिखा जी महाराज (संरक्षक)
02. श्री निरंजन जी अग्रवाल (संरक्षक)
03. श्री द्वारिकाधोश यादव (पदेन विधायक)

04. श्री नीलकण्ठ चंद्राकर पिता श्री हिराधर चंद्राकर (अध्यक्ष)
निवासी ग्राम घुंचापाली, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द
05. श्री सिंकदर सिंह ठाकुर (उपाध्यक्ष)
06. श्री रमेश चंद्राकर (उपाध्यक्ष)
07. श्री पुष्कर चंद्राकर (कनिष्ठ उपाध्यक्ष)
08. श्री दानवीर शर्मा (सचिव)
09. श्री गणेश चंद्राकर (सह सचिव)
10. श्री पोखराज साहू (सह सचिव)
11. श्री मन्नू चंद्राकर (सह सचिव)
12. श्री नंदकुमार चंद्राकर पिता श्री आनंदराम चंद्राकर (कोषाध्यक्ष)
निवासी ग्राम घुंचापाली, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द
13. श्री रामजी तिवारी (उपकोषाध्यक्ष)
14. श्री लालचंद जैन (सदस्य)
15. श्री प्रकाश शुक्ला (सदस्य)
16. श्री शंकर लाल चंद्राकर (सदस्य)
17. श्री प्रेमलाल चंद्राकर (सदस्य)
18. श्री महावीर चंद जैन (सदस्य)
19. श्री राजनारायण शुक्ला (सदस्य)
20. श्री जोगेन्द्र सिंह (सदस्य)
21. श्री पूनम चंद ओझा (सदस्य)
22. श्री चुलेश्वर चौहान (सदस्य)
23. श्री गणेश राम चंद्राकर (सदस्य)
24. श्री करण सिंह ठाकुर (सदस्य)
25. श्री पुरुषोत्तम ओझा (सदस्य)
26. श्री बिसाहू राम विश्वकर्मा (सदस्य)
27. श्री हरिराम देवांगन (सदस्य)
28. श्री मोहित साहू (सदस्य)
29. श्री रमेश चंद्राकर (पदेन सरपंच घुंचापाली)

आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(आज दिनांक 17-03-2020 को पारित)

स्थापक/सेटलर श्री नीलकण्ठ चंद्राकर पिता श्री हिराधर चंद्राकर अध्यक्ष/सेटलर निवासी ग्राम घुंचापाली, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द के द्वारा छ. ग. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1991 की धारा 05 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किये जाने से प्रारंभ हुआ. आवेदकगणों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है, कि स्थापक/सेटलर श्री नीलकण्ठ चंद्राकर पिता श्री हिराधर चंद्राकर के द्वारा ट्रस्टीज को नामांकित कर ट्रस्ट का नाम श्री चण्डी माता मंदिर ट्रस्ट घुंचापाली बागबाहरा रखा जाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ट्रस्ट का पंजीयन कराये जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. साथ ही यह निवेदन किया गया है, कि ट्रस्ट का उद्देश्य स्थायी सम्पत्ति के संबंध में डीड तैयार कर निष्पादित किया गया है. जिसके अनुसार स्वामी श्री अग्निशिखा जी महाराज (संरक्षक), श्री निरंजन जी अग्रवाल (संरक्षक), श्री द्वारिकाधीश यादव (पदेन विधायक), श्री नीलकण्ठ चंद्राकर पिता श्री हिराधर चंद्राकर (अध्यक्ष), निवासी ग्राम घुंचापाली, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द, श्री सिंकदर सिंह ठाकुर (उपाध्यक्ष), श्री रमेश चंद्राकर (उपाध्यक्ष), श्री पुष्कर चंद्राकर (कनिष्ठ उपाध्यक्ष), श्री दानवीर शर्मा (सचिव), श्री गणेश चंद्राकर (सह सचिव), श्री पोखराज साहू (सह सचिव), श्री मन्नू चंद्राकर (सह सचिव), श्री नंदकुमार चंद्राकर पिता श्री आनंदराम चंद्राकर (कोषाध्यक्ष), निवासी ग्राम घुंचापाली, तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द, श्री रामजी तिवारी (उपकोषाध्यक्ष) एवं अन्य 16 ट्रस्टीज हैं.

श्री चण्डी माता मंदिर अपनी प्राचीनता एवं प्रतिष्ठा के साथ माँ भगवती श्री चण्डी माता के नैशर्गिक विग्रह के कारण धर्मपरायण एवं श्रद्धालुओं की आस्था एवं श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर में मनोकामना ज्योति का प्रज्ज्वलन उनकी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है। स्थानीय लोगों के साथ सुदूर अंचलों और प्रदेशों के भी लोगों द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्ज्वलन के साथ माँ भगवती श्री चण्डी के दर्शन एवं पूजन हेतु नवरात्र पर्व के साथ अन्य दिनों में भी निरंतर क्रम बना रहता है। यह माँ चण्डी की अनुभूति जन्य कृपा का साक्षात् प्रमाण है।

उद्देश्य :- श्री चण्डी माता मंदिर ट्रस्ट में भगवती श्री चण्डी माता जी की विधिवत पूजा अर्चना का प्रबंधन एवं संचालन तथा मंदिर की सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था, हिन्दु धर्म की मान्यताओं की स्थापना एवं विकास, मानव जीवन के नैतिक मूल्यों आस्था की प्रतिष्ठा, धार्मिक ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य होगा।

आवेदकगणों का आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण पंजी बद्धकर जांच की कार्यवाही किया गया, तथा सभी सदस्यों को नोटिस सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 01 सितम्बर 2017 पर किया गया। जिसमें किसी प्रकार से कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं हुआ। सभी आवेदकगणों (ट्रस्टियों) का कथन अंकित किया गया। सभी ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट का नाम श्री चण्डी माता मंदिर घुंछापाली बागबाहरा रखा जाकर ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों एवं ट्रस्टियों के कथन का अवलोकन किया जाकर मेरे द्वारा परिशीलन किया गया। ट्रस्ट का कार्यालय मंदिर प्रांगण घुंछापाली में होगा। न्यास छ. ग. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के तहत उपरोक्त ट्रस्टी एवं प्रमुख स्थापक/सेटलर के अनुसार निम्नलिखित कंडिकाओं का स्थापक/सेटलर एवं अन्य ट्रस्टियों द्वारा पालन करते हुए सार्वजनिक न्यास घोषित किया जाता है :-

01. स्थापक/सेटलर एवं अन्य ट्रस्टियों के द्वारा श्री चण्डी माता मंदिर घुंछापाली बागबाहरा का आय-व्यय की लेखा की जांच स्थानीय अंकेक्षक के द्वारा प्रत्येक वर्ष कराये जाकर सूचना पंजीयक लोक न्यास को देगा।
02. पंजीयक लोक न्यास द्वारा कभी भी ट्रस्ट का निरीक्षण कर आय-व्यय की जानकारी ले सकेगा।

आज दिनांक 17-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से आदेश जारी किया गया।

भागवत जायसवाल,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.)